



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 5]

नई दिल्ली, जनवरी 27—फरवरी 2, 2019, शनिवार/माघ 7—माघ 13, 1940

No. 5]

NEW DELHI, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2019, SATURDAY/MAGHA 7—MAGHA—13, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 36.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राइफल्स (समूह 'ग' योद्धक पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स (समूह 'ग' योद्धक पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. असम राइफल्स (समूह 'ग' योद्धक पद) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।";

(A) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix
(4)
Level-5 (Rs 29200-92300/-)”;

(B) in column (7), under heading “Essential”, for paragraph (b), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(b) Diploma in Pharmacy from any recognised Institution of the Central Government or a State Government for which the period of training in two years followed by an internship of which the practical training shall not be less than five hundred hours spread over a period of not less than three months:

Provided that not less than two hundred and fifty hours are devoted to actual dispensing of prescriptions;”.

[F. No. A/Pers/Amdt RRs/WO Pharm/2018]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 16<sup>th</sup> July, 2016 *vide* notification number G.S.R 125, dated the 1<sup>st</sup> June, 2016.

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2019

**सा.का.नि. 38.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्टी, चेन्नई में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्टी, चेन्नई, कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उससे बढ वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। <b>टिप्पण 1:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदुश पद धारण किया हुआ है, और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखते हों। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p>

<p>पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहे हो या इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो;</p> <p>और</p> <p>(ii) हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम हैं, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार</p>			
--	--	--	--

अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) - अध्यक्ष (2) निदेशक (टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम) - सदस्य (3) उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, वीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.ए-12018/11/2017-ई.पी.आर्.]

गोपाल कृष्ण शुक्ल, उप सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd January, 2019

**G.S.R. 38.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Junior Translator (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix and pay scale.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non - selection	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	1*(2019) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty years. <b>Note1:</b> Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. <b>Note2:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and</p> <p>(ii) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office, including</p>	Not applicable	Two years	<p>By Direct Recruitment.</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government:-</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>(The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>



<p>Government of India Undertaking.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(i) Deputy Director General (Public Health) : Chairman</p> <p>(ii) Director ( Expanded Programme of Immunization ) : Member</p> <p>(iii) Deputy Director (Administration) : Member</p> <p>(iv) Administrative Officer, BCG Vaccine Laboratory : Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/11/2017-EPI]

GOPAL KRISHNA SHUKLA, Dy. Secy.